

विदित हो कि प्रथम पक्ष -विक्रेता उक्त भूखण्ड को जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय अनुबन्ध विलेख के अन्त में दिया गया है, को कीमत मु०१५०००००रूपया (पन्द्रह लाख रूपया) मात्र मे राधे मोहन श्रीवास्तव पुत्र स्व०सीताराम श्रीवास्तव ग्राम व पोष्ट-मुजेहरा कला, थाना-चील्ह, जिला-मीरजापुर मो०नं०7455916294 द्वितीय पक्ष/क्रेता के हक में स्वेच्छया विक्रय करना चाहती है तथा द्वितीय पक्ष/क्रेता भी उक्त भूखण्ड प्रथम पक्ष से क्रय करना चाहता है। अतः हम दोनो पक्ष निम्नलिखित शर्तों के पाबन्द होते हैं-

१-यह कि कुल कीमत मु०१५०००००रूपया (पन्द्रह लाख रूपया) मात्र मे से मु०५०००/-रूपये पांच हजार रूपये जरिये चेक सख्या 214503-----दिनांकित 15.05.2014को प्राप्त कर लिया है। शेष अनुबन्धित विक्रय धनराशि मु०१४६५०००/-रूपया (चौदह लाख पंचानवे हजार रूपया) मात्र विक्रय विलेख रजिस्ट्री के पूर्व प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त होगा।

२-यह कि द्वितीय पक्ष/क्रेता आज की तिथि से अन्दर मुद्दत ६० (नब्बे दिन) के अन्दर उक्त भूखण्ड का बैनामा अपने पक्ष में प्रथम पक्ष/विक्रेता से निष्पादित करा लेगा।

३-यह कि खर्चा रजिस्ट्री बैनामा जैसे स्टाम्प, फीस रजिस्ट्री व आवासीय भूखण्ड से सम्बन्धित अन्य समस्त कर आदि जिम्मे द्वितीय पक्ष होगा।

४-यह कि उक्त मियाद के अन्दर प्रथम पक्ष शेष कीमत द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके उक्त भूखण्ड का विक्रय विलेख बहक द्वितीय पक्ष निष्पादित करके रजिस्ट्री कर देगी। अगर प्रथम पक्ष उक्त मियाद के अन्दर उक्त भूखण्ड का विक्रय विलेख द्वितीय पक्ष के हक में तहरीर व तकमील करके रजिस्ट्री न कराये या कोई हीला हवाली करे तो ऐसी सूरत में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि जरिये अदालत प्रथम पक्ष से उक्त भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित कराकर अपने पक्ष में रजिस्ट्री करा लेवे। ऐसी हालत में खर्चा मुकदमा जिम्मे प्रथम पक्ष होगा।

५-यह कि इस अनुबन्ध विलेख द्वारा प्रथम पक्ष विक्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड का कब्जा द्वितीय पक्ष /क्रेता को हस्तानान्तरित नहीं किया जा रहा है, कब्जा व मालिकाना हक बवक्त रजिस्ट्री बैनामा बिल्कुल पाक साफ हालत में उक्त भूखण्ड पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को करा दिया जायेगा।

६-यह कि यदि द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त भूखण्ड क्रय नहीं किया जाता या इन्कार किया जाता है तो यह अनुबन्ध-पत्र उक्त ६० दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात शून्य हो जायेगा तथा दोनो पक्ष अपने दायित्व से उन्मुक्त होंगे।

७- यह कि यदि उक्त ६० दिन की अवधि समाप्त होने पर दोनो पक्ष सहमत हों तो नये अनुबन्ध पत्र के माध्यम से उक्त ६० दिन की अवधि को आपसी सहमति के अनुसार बढ़ा सकेंगे।

८-यह कि इस विक्रय अनुबन्ध विलेख की पाबन्दी उभय पक्ष व उत्तराधिकारी उभय पक्ष पर रहेगी।



[Handwritten Signature]

रम्या डूबे


अतः यह दस्तावेज/ विक्रय अनुबन्ध विलेख हम उभय पक्षों ने समक्ष गवाहान अपनी खुशी व रजामंदी से बिना किसी अनुचित दबाव के पूरे होश हवास में खूब सोच समझ कर निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आवे।

विवरण सम्पत्ति

मौजा वसही टप्पा चौरासी, परगना कंतित, तहसील सदर जिला मीरजापुर के आराजी नं० ४६१ रकबा ०.१२६० हे० व आराजी नं० ४५२ रकबा ०.१३६० हे० दो गाटा मे कुल रकबा ०.२६५० हे०मे से रकबा २४०५ वर्गफीट यानी २२३.५१३ वर्गमीटर (दो हजार चार सौ पांच वर्गफिट यानी दो सौ तेइस दसमलव पांच एक तीन वर्गमीटर) क्रेता को विक्रय हेतु अनुबन्धित किया जा रहा है।


नक्सा व नजरी

विवरण विक्रय हेतु अनुबन्धित आराजियात स्थित-मोजा बसही टप्पा चौरासी परगना कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर




पैमाइस पूरब पश्चिम ७४फीट उत्तर दक्षिण ३२ फीट ५ इंच कुल क्षेत्रफल २४०५ वर्गफीट यानी २२३.५१३ वर्गमीटर

प्रथम पक्ष/क्रेता


राधे मोहन श्रीवास्तव 15/05/2024
नाम/हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष/विक्रेता



ऋचा दूबे
नाम /हस्ताक्षर

गवाह नं०-१ श्री ज कुमार गुप्ता, B-280 वडी आवास कालेनी, रसूलनगर, उमागराज

गवाह नं०-२ Uma Shanker Pandey 5/0 Ram Gopal Pandey
R/0 151/Gr 1 Maitree Apartment Tighora town,
Miyagamaj,



This document has been presented before me on.....
The executants are identified by Sri.....
who have accepted the contents
Avedence this documents is attested.


P. K. Dwivedi
NOTARY
Govt of India

IDENTIFIED BY

P. K. DWIVEDI

15-5-2024